प्रेस नोट थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 27.10.2025

पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.09.2025 को थाना पुवायाँ पर वादी की लिखित सूचना के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम कर्रखेडा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 711/2025 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कराया था। दौराने विवेचना शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की पीडिता / अपहर्ता घटना के समय नाबालिग पायी गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की अपहर्ता/पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य संकलन एकत्र किये गये साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 27.10.2025 को थाना पुवायां पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0711/2025 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट का नामजद अभियुक्त **सुनील पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कर्रखेड़ा थाना बंडा जनपद शाहजहाँपुर** पुलिस व न्यायालय से बचने हेतु कहीं भागने की फिराक में ग्राम मझिगंवा में उदना मोड़ के पास रोड पर खड़ा है। सूचना पर विश्वास करते हुए थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बताए गए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त **सुनील पुत्र सुरेश (उम्र लगभग 22 वर्ष)** को मझिगंवा में उदना मोड़ के पास रोड पर समय लगभग 10:20 बजे पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं जामा तलाशी के उपरांत अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुनील पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कर्रखेडा थाना बंडा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

मु0अ0सं0 711/2025 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री गौरव चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1873 मनीष देशवाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर